न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्या 516/17 (RCMS No.2017/00552) राजस्थान गौवंशीय पशु अधिनियम 1995

गुट्टीराम पुत्र मुंशीराम जाति गूजर निवासी बोलखेडा थाना कामां

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार थानाधिकारी थाना सीकरी जिला भरतपुर जरिये लोक अभियोजक (एपीपी) भरतपुर

.....रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर
भरतपुर दिनांक 27.11.2017

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमान प्रसाद गोयल वकील अपीलान्ट
2. सहायक लोक अभियोजक

निर्णयदिनांकः 31.01.2018

यह अपील राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन यानिर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 27.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 के अंतर्गत पुलिस थाना सीकरी जिला भरतपुर ने दिनांक 10.05.2017 को एक बैल, एक बछड़ा व दो बछिया व 59 गाय कुल 63 गौवंश जब्त कर श्रीकृष्ण गौशाला सेवा समिति कांमा को सुपुर्द कर दिया। उक्त गौवंश को सुपुर्दगी में लेने के लिये अपीलान्ट ने जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया। जिला कलक्टर भरतपुर ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.11.2017से अपीलान्ट का सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है किअपीलान्ट ने दिनांक 10.05.17 को गोपाल पुत्र रामचन्द जाति जाट निवासी सान्दोलिया तहसील अराई व दशरथ पुत्र अमरा जाति जाट निवासी श्रीरामपुरा तहसील सारवाड व तेजूराम पुत्र हरी प्रजापत, कालूराम पुत्र श्रवण जाट निवासी कटसुरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसील अराई जिला अजमेर से गौवंश क्रय किये थे, जिसे गॉव ले जा रहे थे, को पुलिस द्वारा जब्त किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को सोच के तहत तैयार कराया गया मानकर खारिज करने में त्रुटि की है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दो बिन्दुओं पर कोई स्पष्ट फाईडिंग अपने आदेश में नही दी है। नक्शा मौका केअनुसार शमशान घाट बल्देववास तहसील कामां में है और शमशान घाट के पास ही गौवंश को पकड़ना बताया है, जो कि राजस्थान में है। पुलिस थाना सीकरी ने स्वतंत्र गवाह मौके की उक्त जब्ती कार्यवाही व गिरफ्तारी में नही बनाया गया है। शमशान घाट के दोनों ओर जंगल बल्देववास दिखाया गया है इससे यह प्रमाणित नही होता है कि हरियाणा प्रांत की सीमा कितनी नजदीक थी। गौवंश गॉव बेरूं की तरफ से गॉव पालका होकर लाया जा रहा था, वह अपीलान्ट के गांव के निकट है। बेरूं एवं पालका दोनों नगर तहसील के गांव है जोकि राजस्थान राज्य की सीमा में है। हरियाणा की सीमा में नही आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने गौवंश की खरीदशुदा रसीद पर विश्वास नही करने में त्रुटि की है। गौवंश दिनांक 18.04.17 को गौशाला में है उनकी दुर्दशा हो गयी है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.11.17 निरस्त किया जावे तथा जब्त किये गये गौवंश को नियमानुसार सुपुर्दगी में देने के आदेश दिये जावे।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक का कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधिवत्पारित किया गया है। थानाधिकारी सीकरी की रिपोर्ट कमांक 5537 दिनांक 23.10.2017 के अनुसार मुखविर से सूचना मिलने पर बेरूं की तरफ से पालका होते हुऐ गायों को तीन चार व्यक्ति गौकशी के लिये हरियाणा ले जा रहे है, के आधार पर एक बैल, एक बछड़ा व दो बछिया व 59 गाय कुल 63 गौवंश को संधिग्ध अवस्था में जब्त किया गया है। अपीलान्ट के पास गौवंश को बाहर ले जाने के लिये सक्षम अधिकारी की कोई स्वीकृति भी नहीं थी, न ही कोई परमिट तहत अदालत के समक्ष अपीलान्ट द्वारा पेश किया गया। राजस्थान गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 की धारा 5 में गौवंशीय पशु को राज्य के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी स्थान को ले जाने को (निर्यात) प्रतिबन्धित किया हुआ है। थानाधिकारी सीकरी ने उक्त जब्तशुदा गौवंश को राजस्थान की सीमा से बाहर लेजाते हुये जब्त किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह विधि सम्मत् है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्थान गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 की धारा 5 में गौवंशीय पशु को राज्य के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी स्थान को ले जाने को (निर्यात) प्रतिबन्धित किया हुआ है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत्है। क्योंकि थानाधिकारी सीकरी द्वारा जिस अवस्था में गौवंश को जब्त करने की कार्यवाही की गई है, दौराने जब्ती मौका उचित प्रतीत होती है। पुलिस ने उक्त गौवंश को राजस्थान सीमा से बाहर ले जाते हुये जब्त किया है। थानाधिकारी पुलिस थाना सीकरी जिला भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 23.10.17 के अनुसार गौवंश को ले जाने बाबत परमीशन नही होना बताया तथा गौवंश को हरियाणा ले जाना रिपोर्ट में अंकित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, उसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है जिला कलक्टर भरतपुर का निर्णय दिनांक 27.11.17 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official